न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी रवि वर्मा) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./117/2022

1. सुबोध पुत्र प्रमोद जाति कुमावत निवासी ग्राम बान्दनवाड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. सुशील पुत्र प्रमोद जाति कुमावत निवासी ग्राम बान्दनवाड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थीगण

बनाम

1. विनय पुत्र त्रिभुवन जाति कुमावत निवासी ग्राम बान्दनवाड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. सुनिल पुत्र त्रिभुवन जाति कुमावत निवासी ग्राम बान्दनवाड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी
3. प्रमोदकुमार पुत्र रंगलाल जाति कुमावत निवासी ग्राम बान्दनवाड़ा तहसील भिनाय जिला केकड़ी(विलोपित)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– धर्मवीर बामनियां .
2. वकील अप्रार्थी– श्री सांवरलाल चौधरी
3 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि **मौजा बान्दनवाड़ा पटवार क्षेत्र बान्दनवाड़ा भू0अ0नि0 क्षेत्र बान्दनवाड़ा के खाता सं0 1168 में दर्ज खसरा नं. 2199 रकबा 0.05, खसरा नम्बर 2200 रकबा 0.19, खसरा नं. 2204 रकबा 0.31, खसरा नं. 2330 रकबा 0.08, खसरा नं. 2331 रकबा 0.04, खसरा नं. 2332 रकबा 0.15, खसरा नं. 2333 रकबा 0.70, खसरा नं. 2334 रकबा 0.28 कुल किता 08 कुल रकबा 1.80 हैक्ट** जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 03 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 04 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 02 तक की ओर से अधिवक्ता श्री सांवरलाल चौधरी द्वारा वकालनाम पेश कर जवाब प्रस्तुत किया गया। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार होने के कारण अप्रार्थी संख्या 03 का नाम पत्रावली से विलोपित कर संशोधित उनवान स्वीकार किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं।

Scanned with CamScanner

वकील प्रार्थी, वकील अप्रार्थीगण व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना–पत्र के अनुसार कथन कर निवेदन किया गया कि पत्रावली में प्रार्थी द्वारा सभी पड़ौसी खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया। केवल मात्र अप्रार्थीगणों को हेरान परेशान करने की नियत से पत्थरगढ़ी का प्रार्थना–पेश किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को खारिज किया जावे। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम बान्दनवाड़ा के खाता संख्या 570 संवत 2073–2076(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

अतः प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा बान्दनवाड़ा पटवार क्षेत्र बान्दनवाड़ा भू0अ0नि0 क्षेत्र बान्दनवाड़ा के खाता सं0 1168 में दर्ज खसरा नं. 2199 रकबा 0.05, खसरा नम्बर 2200 रकबा 0.19, खसरा नं. 2204 रकबा 0.31, खसरा नं. 2330 रकबा 0.08, खसरा नं. 2331 रकबा 0.04, खसरा नं. 2332 रकबा 0.15, खसरा नं. 2333 रकबा 0.70, खसरा नं. 2334 रकबा 0.28 कुल किता 08 कुल रकबा 1.80 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार बान्दनवाड़ा को 1000/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी

Scanned with CamScanner